

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
क्रमांक PLGMJ-2406/89/2025-GAD-1, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10-06-2026
प्रति,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषय :- माननीय सांसदों और विधायकों को लिपिकीय सुविधा उपलब्ध कराना।

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-9/2019/1/एक, दिनांक 20-08-2019 द्वारा प्रदेश के माननीय सांसदों एवं विधायकों को सचिवालयीन सहायता के लिये लिपिकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में समेकित निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए, बिन्दु क्रमांक 07 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

7. माननीय विधायकगण राज्य के किसी भी जिले में पदस्थ कर्मचारियों की सेवायें प्राप्त कर सकेंगे। राज्य स्तरीय कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों को विधायक के साथ अटैच नहीं किया जा सकेगा। माननीय सांसदों के मामलों में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

(अविनाश चम्पावत)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक PLGMJ-2406/89/2025-GAD-1, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10-06-2026
प्रतिलिपि :-

1. शासन के समस्त विभाग, नवा रायपुर अटल नगर,
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर,
3. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संसदीय कार्य विभाग के पत्र क्रमांक GENCOR-35010/2095/2025-SECTION(PA), दिनांक 12-05-2026 के संदर्भ में। कृपया माननीय सांसदों/विधायकों को उक्त निर्देश से अवगत कराने का कष्ट करें।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़,
6. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़,
7. रजिस्ट्रार जनरल, मान. उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर,
8. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर,
9. सचिव, समस्त निगम / मण्डल/आयोग/बोर्ड/अधिकरण/प्राधिकरण, छत्तीसगढ़,

10. अवर सचिव, स्थापना /अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी. मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,

11. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री / समस्त मंत्रीगण, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।